

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph/FAX 0141-2227280, 2227072

चुनाव/अत्यावश्यक

जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) इन निर्देशों को
अधीनस्थ अधिकारियों को
भेजने से पूर्व स्वयं भी पढ़ें।

क्रमांक: एफ.3(1)(1)नपा/रानिआ/2026/2552

दिनांक: 24/03/2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(नगरपालिका) (कलक्टर)।
राजस्थान

विषय:- नगरीय निकायों के आम चुनाव, 2026 हेतु निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं विस्तृत दिशा-निर्देश।

महोदय,

राज्य की नगरीय निकायों (परिशिष्ट-1) के आम चुनाव वर्ष, 2026 में होने हैं। इसी संदर्भ में मा. उच्च न्यायालय द्वारा D.B.C. W.P. No. 7718/2025 शीला कुमारी बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा संबद्ध याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 14.11.2025 द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव की कार्यवाही सम्पादित कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। आम चुनावों के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 से 15 तथा राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के अनुसार करवाया जाना है। नगरपालिकाओं के लिए वार्डवार निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने, प्रकाशित करने तथा उनके संबंध में प्राप्त दावों और आक्षेपों का निस्तारण कर मतदाता सूचियों को अंतिम रूप से तैयार कर प्रकाशित करने का दायित्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों का है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रणाधीन रहते हुए मतदाता सूचियों की तैयारी से संबंधित समस्त कार्य संपादित करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के अन्तर्गत प्रत्येक नगरपालिका बोर्ड/परिषद/निगम के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों की सहायतार्थ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को अपने आदेश संख्या एफ. 1(3)(1)नपा/रानिआ/94/1/4403 दिनांक 12.11.2025 के द्वारा नियुक्त किया जा चुका है। सुलभ सन्दर्भ के लिये उक्त आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 उपलब्ध है। यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पदों पर पदाभिहित अधिकारियों में किन्हीं कारणों से कोई परिवर्तन किया जाना हो तो इस हेतु प्रस्ताव शीघ्र ही आयोग को भिजवाने का श्रम करें।

राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 16 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा आगामी चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01.01.2026 के संदर्भ में करवाया जाएगा। मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण, संदर्भ तिथि 01.01.2025 के आधार पर तैयार करवाई गई विधानसभा की मतदाता सूची, जिसका अंतिम प्रकाशन 07.01.2025 को किया गया है, के अद्यतन डेटाबेस के आधार पर नगरपालिका की वार्ड एवं आवश्यकतानुसार भागवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार कर, उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक रूप से सत्यापित निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन कर अग्रिम कार्यवाही संपादित की जाएगी।

A - प्रारूप मतदाता सूची तैयार एवं भौतिक सत्यापन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

1. आयोग स्तर पर नियुक्त स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (रील) द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर (e-suchi) के माध्यम से विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूचियों के डेटाबेस को नगरपालिका के वार्ड एवं आवश्यकतानुसार भागों के रूप में विभाजित किया जाएगा। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होगी। उक्त सूचनाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रगणकों के माध्यम से तैयार करवाएंगे। इन सूचनाओं के संकलन के लिए प्रपत्र-ए (परिशिष्ट-3) तैयार किया गया है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र-ए की आवश्यकतानुसार फोटो प्रति करा काम में ली जा सकती हैं।

2. प्रपत्र-ए में अंकित कॉलम में सूचनाओं को भरने का विवरण :-

- प्रपत्र में ऊपर नगरपालिका एवं जिले का नाम लिखा जाएगा।
- कॉलम नं. 1 क्रम संख्या से संबंधित है।
- कॉलम नं. 2 में संबंधित नगरपालिका जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है उस विधानसभा क्षेत्र का नंबर लिखा जायेगा।
- कॉलम नं. 3 में जिस नगरपालिका से संबंधित यह प्रपत्र है, उससे संबंधित विधानसभा क्षेत्र के भाग का नंबर अंकित किया जाएगा।
- कॉलम नं. 4 एवं 5 में कॉलम नं. 3 में अंकित विधानसभा क्षेत्र के नगरपालिका वार्ड से संबंधित भाग के मतदाताओं की क्रम संख्या (कहाँ से कहाँ तक) अंकित की जाएगी।
- कॉलम नं. 6 में कॉलम नं. 4 एवं 5 में अंकित मतदाता नगरपालिका के जिस वार्ड से संबंधित हैं उस वार्ड की संख्या लिखी जाएगी।
- कॉलम नं. 7 में कॉलम नं. 6 के वार्ड के पार्ट का नं. लिखा जाएगा।
- कॉलम नं. 8 में कॉलम नं. 4 एवं 5 के कुल मतदाताओं की गणना स्वतः ही हो जाएगी।

3. आयोग के पत्रांक 4123/16.10.2025 के द्वारा प्रगणकों की नियुक्ति संबंधी कार्य पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूचनाओं के संकलन/डेटा विभाजन के लिये एवं मतदाता सूची सम्बंधी आगामी समस्त तैयारी हेतु प्रगणकों की सहायता ली जायेगी।

4. निर्वाचक नामावली की तैयारी हेतु प्रगणकों को समुचित प्रशिक्षण के बाद ही सूचना संकलन का वास्तविक कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए। अतः प्रगणकों के प्रशिक्षण के तुरन्त पश्चात् प्रपत्र-ए तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए।

5. प्रपत्र-ए तैयार करने का कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मुख्यालय पर ही सभी प्रगणकों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर करवाया जाए ताकि यदि किसी विधानसभा की निर्वाचक नामावली के भाग में एक से अधिक वार्डों के मतदाता सम्मिलित हो तो प्रगणक उनके बारे में एक दूसरों को जानकारी देकर उन्हें नगरपालिका के लिए अलग-अलग भागों में विभाजित कर लें। यह ध्यान रखा जाए कि नगरपालिका वार्ड के किसी एक भाग में दो वार्डों के मतदाता सम्मिलित नहीं हों।

6. नगर निकायों में वार्डों के भाग बनाए जाते समय यथा संभव विधानसभा के भागों के अनुरूप ही भाग बनाए जाए। सामान्यतः नगरपालिका का सम्पूर्ण वार्ड एक ही विधानसभा क्षेत्र में समाहित होगा। यदि किसी मामले में इसमें भिन्नता पाई जाती है तो नगरपालिका हेतु भाग बनाए जाते समय यह ध्यान रखा जाए कि एक मौहल्ला/कॉलोनी/गली के मतदाताओं को एक ही भाग में रखा जाए, चाहे उस भाग के लिए मतदाताओं की संख्या 1400 से थोड़ा कम या ज्यादा हो रही हो।

7. प्रपत्र-ए में सूचना संकलित करने की प्रक्रिया में प्रगणकों को विधानसभा की दिनांक 01.01.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार अद्यतन मतदाता सूची, वार्डों का नवीनतम सीमांकन (परिसीमन) के आदेश की प्रति, वार्ड का नक्शा तथा यदि वार्डों को भागों में विभक्त करने की आवश्यकता है तो प्रत्येक भाग का नजरी नक्शा तथा नगरपालिका की वर्तमान मतदाता सूची की आवश्यकता होगी। उक्त समस्त दस्तावेज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों को उपलब्ध करवाए जायें।

8. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखे कि नगरपालिका के आम चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2025 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 07.01.2025 को किया गया है, को उपयोग में लेना है।

9. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्रगणक सर्वप्रथम विधानसभा की मतदाता सूची के कौन-कौन से भाग किस वार्ड में सम्मिलित हैं, ये पता लगाएंगे। यदि इस कार्य में किसी तरह की कठिनाई महसूस हो तो नगरपालिका कार्यालय के कर्मचारियों की सहायता ली जा सकती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए उचित रहेगा कि प्रगणकों के प्रशिक्षण के दिन नगरपालिका के कर्मचारियों को भी उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित करें।
10. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में जारी पत्र संख्या 641 दिनांक 19.01.2026 में प्रदान किये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक भाग में सामान्यतः 1400 मतदाता रखे जाएं, चूंकि विधानसभा की दिनांक 01.01.2025 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार मतदाता सूचियों के प्रत्येक भाग में भी भारत निर्वाचन आयोग ने यही मापदण्ड निर्धारित किए हुए हैं। इसलिए विधानसभा की मतदाता सूची के अधिकांश भाग नगरपालिका के वार्डों के भागों के समरूप ही होंगे। यदि विधानसभा की मतदाता सूची के किसी भाग में 1400 से अधिक मतदाता हैं तो नगरपालिका के लिए भी वार्ड की सीमा में रखते हुए उसका एक ही भाग बनाया जाएगा।
11. नगरनिगम/नगरपरिषद अथवा बड़ी नगरपालिकाओं में जहां वार्ड भागों में विभाजित किए जायेंगे, वहां विधानसभा की मतदाता सूची के वे भाग जो पूर्ण रूप से उसी वार्ड में सम्मिलित हैं, को यथावत नगरपालिका के वार्ड के भाग के रूप में मान लिया जाएगा तथा उसका वही मतदान केन्द्र निर्धारित कर दिया जाएगा जो विधानसभा/लोकसभा चुनाव के दौरान निर्धारित किया गया था। अधिकांश मामलों में यही संभावना रहेगी। सिर्फ विधानसभा के वे भाग जिनमें नगरपालिका के दो या अधिक वार्डों के मतदाता हैं, वहां विधानसभा के भाग के मतदाताओं की कम संख्या को वार्ड की सीमा तक विभाजित किया जाएगा तथा नगरपालिका के लिए उक्त विधानसभा के भाग से दो या अधिक, जैसी भी स्थिति हो, नगरपालिका के भाग सृजित कर दिए जाएंगे, अथवा यदि इस प्रकार सृजित हो रहे किसी भाग में मतदाताओं की संख्या कम है तो नगरपालिका की मतदाता सूची के लिए नवीन भाग नहीं बनाया जाकर उसी वार्ड के किसी निकटस्थ भाग में उन्हें सम्मिलित कर लिया जाएगा।
12. प्रपत्र ए को तैयार करने से लेकर प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने तक की तिथियां निम्नानुसार रहेंगी:-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	प्रपत्र ए को तैयार करने की अंतिम तिथि	29.03.2026 (रविवार)
2.	प्रपत्र ए को ई-सूची पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	31.03.2026 (मंगलवार)
3.	प्रपत्र ए को ई-सूची पर Process करने की अंतिम तिथि	02.04.2026 (गुरुवार)
4.	चैकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	03.04.2026 (शुक्रवार)
5.	चैकलिस्ट को Verify करने की अंतिम तिथि	05.04.2026 (रविवार)
6.	संशोधित प्रपत्र ए को तैयार/अपलोड करने की अंतिम तिथि (यदि आवश्यक हुआ तो)	07.04.2026 (मंगलवार)
7.	संशोधित प्रपत्र ए को Process करने की अंतिम तिथि	
8.	प्रपत्र ए को Freeze करने की अंतिम तिथि	11.04.2026 (शनिवार)
9.	प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	

13. इस प्रकार प्रगणकों द्वारा सूचनाएं संकलित कर तैयार किए गए प्रपत्र-ए के अनुसार सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं की देख-रेख में ई-सूची (URL <https://www.esuchi.rajasthan.gov.in>) पर **Excel Sheet (.CSV format)** में दिनांक **31.03.2026** तक अपलोड की जानी है। उक्त लिंक पर सूचनाओं को अपलोड करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को आवंटित यूजरनेम (Username) एवं पासवर्ड (Password) का उपयोग किया जाएगा। स्टेट लेवल एजेन्सी रील द्वारा प्रपत्र-ए की सूचनाओं को अपलोड करने संबंधी प्रक्रिया हेतु तैयार किए निर्देश **परिशिष्ट-4** पर उपलब्ध है।
14. उक्त सूचनाओं के अपलोड करने के पश्चात् नगरपालिकाओं की वार्डवार/भागवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से यह जांच भी कर ली जावे कि **मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ पर अंकित वार्ड के परिसीमन का विवरण सही है, इसमें अन्य वार्डों का कोई स्थान सम्मिलित नहीं है एवं इस वार्ड का कोई भी स्थान छूटा नहीं है।** यदि किसी स्थान का सम्मिलित नहीं होना अथवा छूटा होना पाया जाता है तो ई-सूची में यह सुविधा है कि आप अपने स्तर पर इसे अपडेट कर सकते हैं।
15. उक्तानुसार तैयार मतदाता सूची (Check List) का प्रिंट लेकर संबंधित प्रगणकों द्वारा मौके पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची वार्ड के परिसीमन के अनुसार ही है। भौतिक सत्यापन का कार्य दिनांक 05.04.2026 तक पूर्ण कर लिया जाए। यदि भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी मतदाता का नाम नगरीय निकाय के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नहीं है अथवा किसी अन्य वार्ड के मतदाताओं का नाम सम्मिलित हो गया है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र ए त्रुटिपूर्ण है। अतः ऐसी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए संबंधित वार्ड के लिए संशोधित प्रपत्र ए तैयार कर पुनः ई-सूची (e-suchi) पर सूचना अपलोड कर संशोधित प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर लेवें। संशोधित प्रपत्र ए तैयार कर अपलोड करने, प्रोसेस कर **Freeze** करने एवं प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने हेतु तिथियां पैरा 12 के अनुसार रहेंगी। ये सभी कार्य दिनांक 07.04.2026 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किए जाने हैं, ताकि दिनांक 11.04.2026 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जा सके।
16. भौतिक सत्यापन के दौरान यदि ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जिनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है तो प्रगणकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर मौके पर ही उनको **मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जाए।** दावों व आपत्तियों के समय यदि उन व्यक्तियों द्वारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी।
17. उक्त कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जाएगा। पर्यवेक्षण में अन्य कार्यों के अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणक द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के कार्य का कम से कम क्रमशः **5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत नमूना जांच (Sample Testing)** की जाएगी।
18. मतदाता सूचियों के भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट-5** पर उपलब्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र **जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर से** आयोग को दिनांक **10.04.2026** तक आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाएगा।
19. निर्वाचनों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए मतदाता सूचियों का शुद्ध एवं अद्यतन होना आवश्यक है, अर्थात् प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही विवरण के साथ अंकित हो। इसका दायित्व प्रगणक से शुरू होकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक का है। इस हेतु मतदाता सूची के तैयारी के हर स्तर पर पूर्ण **सावधानी एवं पर्यवेक्षण** की आवश्यकता होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के यह निर्देश हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन

अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के स्तर से मतदाता सूचियों का निकटता एवं गहनता से पर्यवेक्षण किया जाए।

B. मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगी:-

क्र. सं.	कार्य विवरण	तिथि/अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	13.04.2026 (सोमवार)
2.	निर्वाचक नामावलियों का वाडों/मतदान केन्द्रों पर पठन	14.04.2026 (मंगलवार)
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	27.04.2026 (सोमवार)
4.	विशेष अभियान की तिथियाँ	19.04.2026 (रविवार) एवं 26.04.2026 (रविवार)
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अन्तिम तिथि	03.05.2026 (रविवार)
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	06.05.2026 (बुधवार)
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	08.05.2026 (शुक्रवार)

C. – निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु सामान्य निर्देश :-

- नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-13(5) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है जिसकी आयु अर्हता तिथि 01.01.2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा जो संबंधित वार्ड का मामूली तौर पर निवासी हो। मामूली तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण धारा-13(5) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को अर्हता तिथि दिनांक 01.01.2026 के आधार पर तैयार किया जाना है, इसलिए जिस व्यक्ति की आयु 01.01.2026 को 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र नहीं है।
- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 13(6) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम नगरपालिका में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता तथा धारा 13(7) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। यह सम्भव है कि नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम त्रुटिवश एक से अधिक बार सम्मिलित हो गया हो ऐसे व्यक्ति का नाम उसी एक स्थान पर रहने दिया जावे, जहां के लिए वह पात्र है तथा शेष स्थान/स्थानों से उसका नाम हटा दिया जाए।
- किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, जो भारतीय नागरिक नहीं है।
- निर्वाचक नामावली वार्डवार तैयार की जायेगी एवं इसे सुविधाजनक भागों में विभक्त किया जा सकेगा। एक भाग में सामान्यतः 1400 मतदाताओं के नाम सम्मिलित किये जाएंगे। प्रत्येक वार्ड में एक से अधिक भाग हो सकते हैं किन्तु एक भाग में एक से अधिक वार्ड के मतदाता किसी भी स्थिति में नहीं होंगे। प्रत्येक भाग के लिए पृथक मतदान केन्द्र होगा। इसका आशय यह है कि नगरपालिका निर्वाचक नामावलियों का भाग तथा मतदान केन्द्र का क्षेत्र समरूप (Coterminous) होंगे। प्रत्येक भाग का क्रमांक-1 से प्रारम्भ होगा। नगरपालिका के ऐसे वार्ड, जिनमें 1400 से कम मतदाता हैं, में एक ही मतदान केन्द्र पर्याप्त रहेगा। अतः ऐसे वार्डों को भागों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है।
- किन्नर (Transgender) एवं लिंग रूपान्तरक (Sex Changer) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरुष मतदाता के रूप में प्रकट नहीं करना चाहे तो वे अपना लिंग 'तृतीय लिंग' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'तृतीय लिंग' अंकित किया जाए।

6. चूंकि नगरपालिका प्रारूप मतदाता सूचियों में मतदान केन्द्र के विवरण का भी अंकन किया जाता है, अतः मतदान केन्द्र भी प्रारूप मतदाता सूचियों के तैयार होने से पूर्व ही निर्धारित कर लिये जाये। मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में **आयोग ने परिपत्र संख्या एफ 4(3)(1)नपा/रानिआ/09/ 641 दिनांक 19.01.2026 से मापदण्ड निर्धारित कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गए हैं।** जहां तक संभव हो, मतदान केन्द्र वे ही रखे जावे जो लोकसभा/विधानसभा चुनावों में रखे गए थे, ताकि मतदाता के लिए मतदान केन्द्र की पहचान आसान हो सके। मतदान केन्द्रों की संख्या निर्धारित प्रपत्र में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् आयोग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
7. राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड-8 के अनुसार मुद्रित सूचियों से निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी व नगरपालिका कार्यालयों के सूचना पट्टों पर तथा वार्ड में सहज दृश्य कम से कम पाँच स्थानों पर किया जायेगा। **मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना के फोटो जिला स्तर पर संकलित कर आयोग को ई-मेल के माध्यम से प्रारूप प्रकाशन के तीन दिवस के भीतर भिजवाए जाएंगे।** मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु नोटिस उपरोक्त आदेश, 1974 में प्ररूप-2 में विहित किया हुआ है। वार्डों की निर्वाचक नामावलियाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी और नगरपालिका के कार्यालयों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखी जावेगी।
8. निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के बाद दावे व आपत्तियाँ दिनांक 13.04.2026 से 27.04.2026 के मध्य प्ररूप 3, 5 एवं 6 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। मतदान केन्द्रों के लिये पदाभिहीत अधिकारियों की नियुक्ति भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से मतदान केन्द्रों पर उक्त अवधि में दावे और आपत्तियाँ प्राप्त कर सकेंगे। प्रगणकों को भी पदाभिहीत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सका है।
9. प्रारूप मतदाता सूची की प्रति सभी पदाभिहित अधिकारियों को उपलब्ध करवाकर **दिनांक 14.04.2026 को नगरनिगम/परिषद/बोर्ड के वार्ड/मतदान केन्द्रों पर वार्ड सभायें** आयोजित कर संबंधित भागों की निर्वाचक नामावलियों का पठन किया जायेगा तथा मतदाता सूची निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि मतदाता इन निर्वाचक नामावलियों का अवलोकन कर या सुनकर नामावली की किसी प्रविष्टि के विवरण के संबंध में यदि कोई दावा या आपत्ति है तो मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान तिथियों में अथवा निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र भरकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित अधिकारियों को दे सकें। अतः यह सुनिश्चित करलें कि अभियान तिथियों को पदाभिहित अधिकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में संबंधित आवेदन पत्र (प्ररूप 3, 5 एवं 6) उपलब्ध हैं। पठन-पाठन के उक्त कार्यक्रम में नगरपालिकाओं के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे व क्षेत्र के लोगो को कार्यक्रम की जानकारी भी देंगे।
10. उपरोक्त आदेश के खण्ड-9 के अनुसार दावें व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का समय 15 दिन निश्चित है और इन्हें निर्धारित प्ररूप-3, 5 और 6 में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्ररूप 3, 5 और 6 का वितरण निःशुल्क किया जाए। दावें व आपत्तियाँ डाक द्वारा भी प्राप्त हो सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा नाम जोड़ने के लिए अधिक मात्रा (Bulk) में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसे प्राप्त दावों व आपत्तियों की विस्तृत एवं गहन जांच की जाकर उनका निस्तारण किया जाए।
11. मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए **विशेष अभियान** तिथियाँ दिनांक 19.04.2026 एवं 26.04.2026 निर्धारित की गई हैं। इन दिनों पदाभिहीत अधिकारी पूरे दिवस को प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। **शेष दिनों में आधा दिवस पूर्वान्ह या अपरान्ह में उपस्थित रहेंगे।**
12. मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के प्रयोजन से आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि दावे व आपत्तियाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु मतदान केन्द्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त पदाभिहीत अधिकारियों को भी निर्धारित अवधि के मध्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं। पदाभिहीत अधिकारी भी उसी दिन प्राप्त दावों व आपत्तियों की सूची मतदान केन्द्र पर प्रकाशित करेगा साथ ही मूल दावे व आपत्तियों को अपनी टिप्पणी सहित प्ररूप 8, 9, 10 **(परिशिष्ट कमशः 6, 7 एवं 8)** में सूची के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करेगा। पदाभिहीत अधिकारी के माध्यम से प्राप्त दावों व आपत्तियों व अन्य प्रकार से प्राप्त दावों व आपत्तियों

की सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रतिदिन अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा तथा निर्वाचको का रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974 के खण्ड-12 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

13. दावों व आपत्तियां सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे दावों व आपत्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पास उसी दिन भेज दिया जावेगा।
14. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया उक्त आदेश, 1974 के खण्ड-12 में बतायी गयी है। इसके अलावा खण्ड-13 व खण्ड-14 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से भी कार्य करने की प्रक्रिया बतायी गयी है। दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम हटाये जाने की प्रक्रिया के पश्चात् निर्वाचक नामावलियों की पूरक सूची भागवार तैयार कर ई-सूची (e-suchi) पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद पूरक सूची का लेजर प्रिंट लेकर आवश्यकतानुसार फोटो प्रतियां कराकर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन उक्त आदेश, 1974 के खण्ड 15 में विहित प्ररूप-7 में किया जावेगा।
15. निर्वाचक नामावली में अंकित ऐसे मतदाता (जो राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974 के खण्ड 13 एवं 14 में उल्लेखित हैं) को चिह्नित कर उनका नाम विलोपित किए जाने की कार्यवाही उक्त प्रावधानानुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से कार्य करने संबंधी प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत की जाए। उक्त खण्ड निम्नानुसार है:-

Section 13. Inclusion of names inadvertently omitted.- If it appears to the Electoral Registration Officer that owing to inadvertence or error during preparation, the names of any electors have been left out of the roll and that remedial action should be taken under this clause, the Electoral Registration Officer shall-

- (a) prepare a list of the names and other details of such electors;
- (b) exhibit on the notice board of his office a copy of the list together with a notice as to the time and place at which the inclusion of these means in the roll will be considered, and also publish the list and the notice in such other manner as he may think fit; and
- (c) after considering any verbal or written objections that may be preferred, decide whether all or any of the names should be included in the roll.

Section 14. Deletion of names of dead electors and persons who cease to be or are not, ordinarily residents. - If it appears to the Electoral Registration Officer during preparation of the roll that owing to inadvertence or error or otherwise, the names of dead persons or of persons who cease to be, or are not, ordinarily residents in the ward have been included in the roll and that remedial action should be taken under this clause, the Electoral Registration Officer shall-

- (a) prepare a list of the names and other details of such electors;
- (b) exhibit on the notice board of his office a copy of the list together with a notice as to the time and place at which the question of deletion of these names from the roll will be considered, and also publish the list and the notice in such other manner as he may think fit; and
- (c) after considering any verbal or written objections that may be preferred, decide whether all or any of the names should be deleted from the roll:

Provided that before taking any action under this clause in respect of any person on the ground that he has ceased to be, or is not, ordinarily resident

in the ward, the Electoral Registration Officer shall make every endeavor to give him a reasonable opportunity to show cause why the action should not be taken in relation to him.

मृत मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर से मृत व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रगणकों को भी निर्देश प्रदान किए जाएं कि वे भौतिक सत्यापन के दौरान मृत मतदाताओं की भी पहचान कर लें।

16. निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित रिकार्ड अर्थात् प्रारूप निर्वाचक नामावलियां, दावों/आपत्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उन पर दिया गया निर्णय और अंतिम रूप से तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों की प्रमाणित प्रति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा खण्ड-19 के प्रावधानों के अनुसार उसके कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

17. मतदाताओं के वार्ड/भागवार आंकड़े प्रगणकों द्वारा तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को प्रस्तुत किये जायेगे। इन आंकड़ों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्यालय में एक पत्रावली में पत्रित किया जावेगा तथा **परिशिष्ट-9** पर बताये गये प्रपत्र (मतदाताओं की संख्या दावों/आपत्तियों के विवरण) में एक रजिस्टर वार्डवार संधारित किया जायेगा जिसमें नगरपालिका निर्वाचक नामावलियों से संबंधित आंकड़े यथा मतदाताओं की कुल संख्या, स्त्री, पुरुष एवं अन्य मतदाताओं की संख्या अंकित की जाकर मय गोश्वारे के संकलित किये जायेंगे।

18. निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उक्त रजिस्टर में संकलित आंकड़ों के आधार पर **परिशिष्ट-10** में सूचना तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग को ई-सूची पर अपलोड कर ऑन लाईन भेजी जाएगी। इन आंकड़ों से यह पता चलेगा कि हाल में हुई लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची के तुलना में मतदाताओं में कितनी वृद्धि व कमी हुई है। असाधारण (Unusal) परिवर्तन की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं भी करें ताकि मतदाता सूची में कोई गलती ना रहें। यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता सूची में पात्र व्यक्ति का नाम जुड़ने से नहीं रह जाए व अपात्र का नाम सम्मिलित नहीं हो।

19. आयोग के परिपत्र सं० 3(1)(1)नपा/रानिआ/2024/2527 दिनांक 23.03.2026 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के समय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को फोटो-रहित मतदाता सूची की सॉफ्टकॉपी उपलब्ध करवाई जाए तथा अंतिम प्रकाशन के समय निर्वाचक नामावलियों का एक-एक सैट मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए।

20. पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तिथियों का समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से तथा पम्फलेट वितरित करवाकर विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को कार्यक्रम की तिथियों सहित पूर्ण जानकारी देने हेतु शाला प्रधानों को निर्देशित किया जाए, ताकि विद्यार्थी अपने परिवारजनों को अवगत करा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अपने-अपने स्तर पर राजनैतिक दलों/स्वयं सेवा संस्थाओं की बैठक आयोजित कर उन्हें मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के कार्य से जोड़े ताकि सभी योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें।

21. मतदाता सूची तैयारी, प्रारूप प्रकाशन व अंतिम प्रकाशन में स्टेशनरी व आवश्यक सामग्री क्रय हेतु प्रारम्भिक बजट का आवंटन यथा समय कर दिया जाएगा।

22. निर्वाचक नामावली तैयार करने की उक्त प्रक्रिया में यदि किसी तरह की कोई कठिनाई महसूस होती है तो उके निराकरण के लिए आयोग कार्यालय एवं SLA के निम्नलिखित कार्मिकों/प्रतिनिधियों से सम्पर्क किया जा सकता है:-

क्र.सं.	नाम एवं पद	मोबाईल नम्बर	विशेष विवरण
1	श्री अम्बालाल मीणा, उप सचिव SEC	0141-2227407	निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए
2	श्री विपिन कुमार, अति. प्रशासनिक अधिकारी, SEC	9785853381	

3	श्रीमती किरण मीणा, एनालिस्ट – कम-प्रोग्रामर, SEC	7877052527	विधानसभा डेटाबेस के विभाजन एवं सॉफ्टवेयर संचालन संबंधी प्रक्रिया के लिए
4	श्री ललित बंसल, प्रतिनिधि SLA	8209224672	
5	श्री हिमांशु चौधरी, प्रतिनिधि SLA	7014758543	

निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) आदेश, 1974 में उपलब्ध विधिक प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा है कि वे निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के संबंध में उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने पदीय कर्तव्यों का पालन करेंगे। निर्वाचक नामावली में नाम छूटने या गलत नाम जुड़ने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होने के कम में किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा यदि अपने पदीय कर्तव्य का भंग अथवा कार्यलोप किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आयोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 20 के अन्तर्गत संबंधित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। इस धारा के प्रावधान को जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ध्यान में लाए।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत जारी किये गये हैं।

भवदीय,


(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ 3(1)(1)नपा/रानिआ/2026/2553-2562
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 24/03/2026

1. अति निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को आमजन में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव/सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका माफत जिला निर्वाचन अधिकारी।
9. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, माफत जिला निर्वाचन अधिकारी।
10. उप प्रबंधक, REIL जयपुर।


(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव

परिशिष्ट — 1

स्वायत्त शासन विभाग के पत्र क्रमांक 21783 दिनांक 19.03.2026 में उल्लेखानुसार 110 नगरीय निकायों का परिसीमन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा माह सितम्बर 2025 को जारी अधिसूचनाओं एवं प्रभावित 03 नगरीय निकाय यथा देवगढ़, बड़ी सादड़ी एवं तारानगर के वार्ड की स्थिति पूर्वानुसार मानते हुए आगामी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उक्त पत्र के क्रम में निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण हेतु 113 नगरीय निकायों की सूची निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	जिला	क्रम संख्यां	नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका	निकाय का नाम	वार्डों की संख्या
1	अजमेर	1	नगरपालिका	केकड़ी	40
		2	नगरपालिका	सरवाड	25
2	नागौर	3	नगरपालिका	मेड़तासिटी	40
		4	नगरपालिका	कुचेरा	25
		5	नगरपालिका	मूण्डवा	25
		6	नगरपालिका	डेगाना	25
3	टोंक	7	नगरपालिका	उनियारा	20
4	ब्यावर	8	नगरपालिका	जैतारण	25
5.	भीलवाड़ा	9	नगरनिगम	भीलवाड़ा	70
		10	नगरपालिका	शाहपुरा	35
		11	नगरपालिका	गुलाबपुरा	35
		12	नगरपालिका	गंगापुर	25
		13	नगरपालिका	जहाजपुर	25
		14	नगरपालिका	माण्डलगढ़	20
6	डीडवाना-कुचामन	15	नगरपरिषद	कुचामनसिटी	45
		16	नगरपालिका	लाडनूं	45
		17	नगरपालिका	परबतसर	25
		18	नगरपालिका	नांवा	25
7	बीकानेर	19	नगरपालिका	नोखा	45
		20	नगरपालिका	श्रीडूंगरगढ़	40
		21	नगरपालिका	देशनोक	25
8	श्रीगंगानगर	22	नगरपालिका	रायसिंहनगर	35
		23	नगरपालिका	गजसिंहपुर	20
		24	नगरपालिका	केसरीसिंहपुर	20
		25	नगरपालिका	सादुलशहर	25
		26	नगरपालिका	श्रीकरणपुर	25
		27	नगरपालिका	सूरतगढ़	45
		28	नगरपालिका	श्रीविजयनगर	25

9	हनुमानगढ़	29	नगरपालिका	नोहर	40
		30	नगरपालिका	संगरिया	35
10	चुरू	31	नगरपरिषद	सरदारशहर	55
		32	नगरपालिका	राजगढ़	40
		33	नगरपालिका	तारानगर	35
		34	नगरपालिका	छापर	25
		35	नगरपालिका	राजलदेसर	35
		36	नगरपालिका	रतननगर	20
11	भरतपुर	37	नगरपालिका	बयाना	35
		38	नगरपालिका	वैर	25
		39	नगरपालिका	भुसावर	25
		40	नगरपालिका	रुपवास	25
12	धौलपुर	41	नगरपालिका	बाड़ी	45
		42	नगरपालिका	राजाखेड़ा	35
13	करौली	43	नगरपरिषद	करौली	55
14	डीग	44	नगरपरिषद	डीग	40
		45	नगरपालिका	कामां	35
15	सवाईमाधोपुर	46	नगरपरिषद	गंगापुरसिटी	60
16	जयपुर	47	नगरपरिषद	चौमूं	45
		48	नगरपालिका	सांभर	25
		49	नगरपालिका	चाकसू	35
		50	नगरपालिका	जोबनेर	20
		51	नगरपालिका	फुलेरा	25
		52	नगरपालिका	किशनगढ़-रेनवाल	35
		53	नगरपालिका	बगरु	35
17	अलवर	54	नगरपालिका	थानागाजी	25
18	दौसा	55	नगरपरिषद	लालसोट	35
19	सीकर	56	नगरपालिका	रींगस	35
		57	नगरपालिका	रामगढ़-शेखावाटी	35
		58	नगरपालिका	खाटूश्यामजी	20
20	झुन्झुनू	59	नगरपालिका	नवलगढ़	45
		60	नगरपालिका	बिसाऊ	25
		61	नगरपालिका	बग्गड़	20
		62	नगरपालिका	मण्डावा	25
		63	नगरपालिका	पिलानी	35
		64	नगरपालिका	मुकुन्दगढ़	25
		65	नगरपालिका	सूरजगढ़	25
		66	नगरपालिका	विद्याविहार	25
21	खैरथल-तिजारा	67	नगरपरिषद	भिवाडी	60

22	जोधपुर	68	नगरपालिका	पीपाडसिटी	35
26	जैसलमेर	69	नगरपरिषद	जैसलमेर	45
		70	नगरपालिका	पोकरण	25
27	जालौर	71	नगरपालिका	सांचौर	35
		72	नगरपालिका	भीनमाल	40
28	फलौदी	73	नगरपरिषद	फलौदी	40
29	पाली	74	नगरनिगम	पाली	65
		75	नगरपालिका	सोजत सिटी	40
		76	नगरपालिका	बाली	25
		77	नगरपालिका	तख्तगढ़	25
		78	नगरपालिका	सादडी	35
		79	नगरपालिका	खुडाला-फालना	25
		80	नगरपालिका	रानीखुर्द	20
30	सिरोही	81	नगरपरिषद	सिरोही	35
		82	नगरपालिका	आबूरोड	40
		83	नगरपालिका	माउण्ट आबू	25
		84	नगरपालिका	शिवगंज	35
		85	नगरपालिका	पिण्डवाडा	25
31	कोटा	86	नगरपालिका	रामगंजमण्डी	40
		87	नगरपालिका	ईटावा	35
32	बारां	88	नगरपालिका	छबड़ा	35
		89	नगरपालिका	मांगरोल	35
33	बूंदी	90	नगरपालिका	लाखेरी	35
		91	नगरपालिका	केशवरायपाटन	25
		92	नगरपालिका	कापरेन	25
		93	नगरपालिका	इन्द्रगढ़	20
34	झालावाड़	94	नगरपरिषद	झालावाड़	45
		95	नगरपालिका	भवानीमण्डी	40
		96	नगरपालिका	पिडावा	20
		97	नगरपालिका	अकलेरा	35
35	उदयपुर	98	नगरपालिका	फतेहनगर-सनवाड	25
		99	नगरपालिका	भीण्डर	25
		100	नगरपालिका	कानोड	20
36	बांसवाड़ा	101	नगरपालिका	कुशलगढ़	20
		102	नगरपालिका	परतापुरगढ़ी	25
37	चित्तौड़गढ़	103	नगरपरिषद	चित्तौड़गढ़	60
		104	नगरपालिका	बड़ी सादडी	25
		105	नगरपालिका	कपासन	25
		106	नगरपरिषद	राजसमंद	45

38	राजसमंद	107	नगरपालिका	आमेट	25
		108	नगरपालिका	नाथद्वारा	40
		109	नगरपालिका	देवगढ़	25
39	प्रतापगढ़	110	नगरपरिषद	प्रतापगढ़	40
		111	नगरपालिका	छोटी सादडी	25
40	डूंगरपुर	112	नगरपालिका	डूंगरपुर	40
		113	नगरपालिका	सागवाडा	35

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक:एफ.1(3)(1)न.पा./रानिआ/94/1/4403

दिनांक: 12.11.2025

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्या - 18) की धारा 13 की उप धारा (1) एवं (3) के उपबन्धों के अनुसरण में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग निम्नांकित सारणी के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य के जिले में स्थित सारणी के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट नगरपालिका क्षेत्र के लिए स्तम्भ-4 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं सारणी के स्तम्भ-5 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है :-

सारणी

क्र. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका/परिषद्/निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	नगर निगम अजमेर	1. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर 2. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अजमेर 3. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुष्कर	1. सहायक कलक्टर मुख्यालय, अजमेर 2. सहायक निदेशक, लोक सेवाएँ, कलक्टर, अजमेर 3. तहसीलदार, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर 4. सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी (प्रथम), अजमेर 5. तहसीलदार, अजमेर 6. तहसीलदार(भू अभिलेख), अजमेर 7. नायब तहसीलदार (प्रथम), तहसील अजमेर 8. नायब तहसीलदार (द्वितीय), तहसील अजमेर
		नगर परिषद् किशनगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़	1. तहसीलदार, किशनगढ़ 2. नायब तहसीलदार, किशनगढ़
		नगर परिषद् पुष्कर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुष्कर	1. तहसीलदार, पुष्कर 2. नायब तहसीलदार, पुष्कर
		नगरपालिका नसीराबाद	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नसीराबाद	1. तहसीलदार, नसीराबाद 2. नायब तहसीलदार, नसीराबाद
		नगर परिषद् केकड़ी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, केकड़ी	1. तहसीलदार, केकड़ी 2. नायब तहसीलदार केकड़ी
		नगरपालिका सरवाड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सरवाड	1. तहसीलदार, सरवाड 2. नायब तहसीलदार सरवाड
		नगरपालिका टांटोटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सरवाड	तहसीलदार, टांटोटी नायब तहसीलदार टांटोटी
		नगरपालिका सावर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सावर	तहसीलदार, सावर नायब तहसीलदार सावर
		नगरपालिका पीसांगन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीसांगन	तहसीलदार पीसांगन नायब तहसीलदार पीसांगन
2.	अलवर	नगर निगम अलवर	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अलवर	1. तहसीलदार, अलवर 2. उप पंजीयक प्रथम, अलवर

			2. सहायक कलक्टर, अलवर	3. उप पंजीयक द्वितीय, अलवर 4. नायब तहसीलदार, अलवर
		नगरपालिका राजगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ	तहसीलदार, राजगढ
		नगरपालिका लक्ष्मणगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ	तहसीलदार, लक्ष्मणगढ
		नगरपालिका कठुमर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कठुमर	तहसीलदार, कठुमर
		नगरपालिका खेरली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कठुमर	नायब तहसीलदार, खेरली
		नगरपालिका थानागाजी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी	तहसीलदार, थानागाजी
		नगरपालिका रामगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगढ	तहसीलदार, रामगढ
		नगरपालिका गोविन्दगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ	तहसीलदार, गोविन्दगढ
		नगरपालिका मालाखेडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मालाखेडा	तहसीलदार, मालाखेडा
		नगरपालिका बहादुरपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर	नायब तहसीलदार, बहादुरपुर
		नगरपालिका बडौदा मेव	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ	नायब तहसीलदार, बडौदा मेव
		नगरपालिका नौगांवा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगढ	तहसीलदार, नौगांवा
3.	बालोतरा	नगर परिषद् बालोतरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा	1. तहसीलदार, पचपदरा 2. नायब तहसीलदार पचपदरा
		नगरपालिका जसोल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा	1. उप पंजीयक जसोल 2. नायब तहसीलदार जसोल
		नगरपालिका सिवाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिवाना	1. तहसीलदार, सिवाना 2. नायब तहसीलदार, सिवाना
		नगरपालिका समदडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिवाना	1. तहसीलदार, समदडी 2. नायब तहसीलदार, समदडी
		नगरपालिका सिणधरी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिणधरी	1. तहसीलदार, सिणधरी 2. नायब तहसीलदार, सिणधरी
4.	बांसवाड़ा	नगर परिषद् बांसवाड़ा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा	1. तहसीलदार, बांसवाड़ा 2. नायब तहसीलदार, बांसवाड़ा
		नगरपालिका परतापुर-गढी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गढी	1. तहसीलदार, गढी 2. नायब तहसीलदार, गढी
		नगरपालिका कुशलगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कुशलगढ	1. तहसीलदार, कुशलगढ 2. नायब तहसीलदार, कुशलगढ
5.	बारां	नगर परिषद् बारां	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बारां
		नगरपालिका अन्ता	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अन्ता	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अन्ता
		नगरपालिका मांगरोल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मांगरोल	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मांगरोल
		नगरपालिका सीसवाली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मांगरोल	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मांगरोल
		नगरपालिका अटरु	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड	तहसीलदार एवं कार्यपालक

			मजिस्ट्रेट, अटरू	मजिस्ट्रेट, अटरू
		नगरपालिका छबडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, छबडा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, छबडा
6.	वाङमेर	नगर परिषद् बाङमेर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाङमेर	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बाङमेर
		नगरपालिका चौहटन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौहटन	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौहटन
		नगरपालिका धौरीमन्ना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौरीमन्ना	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, धौरीमन्ना
		नगरपालिका गुडामालानी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गुडामालानी	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गुडामालानी
7.	ब्यावर	नगर परिषद् ब्यावर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर	तहसीलदार, ब्यावर
		नगरपालिका बिजयनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मसूदा	तहसीलदार, बिजयनगर
		नगरपालिका मसूदा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मसूदा	तहसीलदार, मसूदा
		नगरपालिका जैतारण	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण	तहसीलदार, जैतारण
		नगरपालिका रायपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर	तहसीलदार, रायपुर
8.	भरतपुर	नगर निगम भरतपुर	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर	1. तहसीलदार, भरतपुर 2. उप पंजीयक, भरतपुर 3. तहसीलदार, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर
		नगरपालिका नदबई	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नदबई	तहसीलदार, नदबई
		नगरपालिका वैर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वैर	तहसीलदार, वैर
		नगरपालिका बयाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बयाना	तहसीलदार, बयाना
		नगरपालिका भुसावर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भुसावर	तहसीलदार, भुसावर
		नगरपालिका रूपवास	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रूपवास	तहसीलदार, रूपवास
		नगरपालिका उच्चैन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उच्चैन	तहसीलदार, उच्चैन
9.	भीलवाडा	नगर निगम भीलवाडा	उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा	1. सहायक कलक्टर मुख्यालय भीलवाडा 2. तहसीलदार, भीलवाडा 3. तहसीलदार, नगर निकास व्यास भीलवाडा 4. तहसीलदार भू-अभिलेख कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाडा
		नगरपालिका आसीन्द	उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द	तहसीलदार, आसीन्द
		नगरपालिका गुलाबपुरा	उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा	तहसीलदार, हुरडा
		नगरपालिका गंगापुर	उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर	तहसीलदार, सहाडा मु.गंगापुर
		नगरपालिका हमीरगढ	उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ	तहसीलदार, हमीरगढ

		नगरपालिका बनेडा	उपखण्ड अधिकारी, बनेडा	तहसीलदार, बनेडा
		नगरपालिका शाहपुरा	उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा	तहसीलदार शाहपुरा
		नगरपालिका जहाजपुर	उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर	तहसीलदार, जहाजपुर
		नगरपालिका बीगोद	उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ	तहसीलदार, माण्डलगढ
		नगरपालिका माण्डलगढ	उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ	तहसीलदार, माण्डलगढ
		नगरपालिका बिजौलिया	उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया	तहसीलदार, बिजौलिया
10.	बीकानेर	नगर निगम बीकानेर	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (शहर), बीकानेर 2. उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर	1. तहसीलदार, बीकानेर 2. उप पंजीयक-प्रथम, बीकानेर
		नगरपालिका देशनोक	उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर	उप तहसीलदार, देशनोक
		नगरपालिका डुंगरगढ	उपखण्ड अधिकारी, श्रीडुंगरगढ	तहसीलदार, श्रीडुंगरगढ
		नगरपालिका नोखा	उपखण्ड अधिकारी, नोखा	तहसीलदार, नोखा
		नगरपालिका खाजूवाला	उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला	तहसीलदार, खाजूवाला
		नगरपालिका लूणकरणसर	उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर	तहसीलदार, लूणकरणसर
		नगरपालिका नापासर	सहायक कलक्टर, बीकानेर	तहसीलदार प्रथम, बीडीए
11.	बून्दी	नगर परिषद् बून्दी	उपखण्ड अधिकारी, बून्दी	तहसीलदार, बून्दी
		नगरपालिका के० पाटन	उपखण्ड अधिकारी, के० पाटन	तहसीलदार, के० पाटन
		नगरपालिका कापरेन	उपखण्ड अधिकारी, के० पाटन	तहसीलदार, के० पाटन
		नगरपालिका लाखेरी	उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी	तहसीलदार, इन्द्रगढ
		नगरपालिका इन्द्रगढ	उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी	तहसीलदार, इन्द्रगढ
		नगरपालिका नैनवां	उपखण्ड अधिकारी, नैनवां	तहसीलदार, नैनवां
		नगरपालिका देई	उपखण्ड अधिकारी, नैनवां	तहसीलदार, नैनवां
		नगरपालिका हिण्डोली	उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली	तहसीलदार, हिण्डोली
12.	चित्तौडगढ	नगर परिषद् चित्तौडगढ	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौडगढ	तहसीलदार, चित्तौडगढ
		नगरपरिषद् निम्बाहेडा	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, निम्बाहेडा	तहसीलदार, निम्बाहेडा
		नगरपालिका कपासन	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन	तहसीलदार, कपासन
		नगरपालिका बेगू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बेगू	तहसीलदार, बेगू
		नगरपालिका रावतभाटा	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रावतभाटा	तहसीलदार, रावतभाटा
		नगरपालिका बडीसादडी	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बडीसादडी	तहसीलदार, बडीसादडी
		नगरपालिका आकोला	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भूपालसागर	तहसीलदार, भूपालसागर
13.	चूरु	नगर परिषद् चूरु	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चूरु	तहसीलदार, चूरु
		नगर परिषद् सुजानगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ	तहसीलदार, सुजानगढ
		नगर परिषद् सरदारशहर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सरदारशहर	तहसीलदार, सरदारशहर
		नगरपालिका राजगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ (चूरु)	तहसीलदार, राजगढ (चूरु)
		नगरपालिका तारानगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तारानगर	तहसीलदार, तारानगर
		नगरपालिका साहवा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड	नायब तहसीलदार साहवा

			मजिस्ट्रेट, तारानगर	
		नगरपालिका रतननगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चूरु	तहसीलदार, चूरु
		नगरपालिका रतनगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रतनगढ	तहसीलदार, रतनगढ
		नगरपालिका राजलदेसर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रतनगढ	तहसीलदार, राजलदेसर
		नगरपालिका छापर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ	तहसीलदार, सुजानगढ
		नगरपालिका बीदासर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीदासर	तहसीलदार, बीदासर
14.	दौसा	नगर परिषद् दौसा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा	1. तहसीलदार, दौसा 2. नायब तहसीलदार, दौसा
		नगरपालिका बांदीकुई	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बांदीकुई	1. तहसीलदार, बांदीकुई 2. नायब तहसीलदार, बांदीकुई
		नगरपालिका महवा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, महवा	1. तहसीलदार, महवा 2. नायब तहसीलदार, महवा
		नगर परिषद् लालसोट	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लालसोट	तहसीलदार, निर्झरना
		नगरपालिका सिकराय	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिकराय	तहसीलदार, सिकराय
		नगरपालिका रामगढ पचवारा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगढ पचवारा	तहसीलदार, रामगढ पचवारा
		नगरपालिका लवाण	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण	तहसीलदार, लवाण
		नगरपालिका मण्डावर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मण्डावर	तहसीलदार, मण्डावर
		नगरपालिका बसवा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बसवा	तहसीलदार, बसवा
		नगरपालिका भाण्डारेज	सहायक कलक्टर, दौसा	1. तहसीलदार, भाण्डारेज 2. नायब तहसीलदार, भाण्डारेज
		नगरपालिका मण्डावरी	सहायक कलक्टर, लालसोट	तहसीलदार, लालसोट
15.	डीग	नगर परिषद् डीग	उपखण्ड अधिकारी, डीग	तहसीलदार, डीग तहसीलदार जनुथर
		नगरपालिका कुम्हेर	उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर	तहसीलदार, कुम्हेर तहसीलदार राह
		नगरपालिका नगर	उपखण्ड अधिकारी, नगर	तहसीलदार, नगर
		नगरपालिका कामां	उपखण्ड अधिकारी, कामां	तहसीलदार, कामां तहसीलदार जुरहरा
		नगरपालिका सीकरी	उपखण्ड अधिकारी, सीकरी	तहसीलदार, सीकरी
		नगरपालिका पहाडी	उपखण्ड अधिकारी, पहाडी	तहसीलदार पहाडी
16.	डीडवाना- कुचामन	नगरपरिषद् डीडवाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीडवाना	1. तहसीलदार, डीडवाना 2. नायब तहसीलदार, डीडवाना
		नगरपरिषद् मकराना	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी	1. तहसीलदार, मकराना 2. नायब तहसीलदार, मकराना
		नगरपरिषद् कुचामनसिटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी	1. तहसीलदार, कुचामनसिटी 2. नायब तहसीलदार, कुचामनसिटी
		नगरपालिका लाडनू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लाडनू	1. तहसीलदार, लाडनू 2. नायब तहसीलदार, लाडनू
		नगरपालिका बोरवड	उपखण्ड अधिकारी एवं	1. नायब तहसीलदार,

			उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मकराना	गच्छीपुरा 2. नायब तहसीलदार, बुडसु
		नगरपालिका नावां	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नावां	1. तहसीलदार, नावां 2. नायब तहसीलदार, नावां
		नगरपालिका परबतसर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, परबतसर	1. तहसीलदार, परबतसर 2. नायब तहसीलदार, परबतसर
		नगरपालिका खाटू खुर्द	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) डीडवाना	1. तहसीलदार छोटी खाटू 2. तहसीलदार मौलासर
17.	धौलपुर	नगर परिषद् धौलपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौलपुर	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, धौलपुर
		नगरपालिका बाडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाडी	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बाडी
		नगरपालिका राजाखेडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजाखेडा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, राजाखेडा
		नगरपालिका बसेडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बसेडी	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बसेडी
		नगरपालिका सरमथुरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सरमथुरा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सरमथुरा
		नगरपालिका सैपउ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सैपउ	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सैपउ
		नगरपालिका मनियां	सहायक कलक्टर (मु) धौलपुर	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मनियां
18.	डूंगरपुर	नगर परिषद् डूंगरपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर	तहसीलदार, डूंगरपुर
		नगरपालिका सागवाडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सागवाडा	तहसीलदार, सागवाडा
19.	हनुमानगढ	नगर परिषद् हनुमानगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ	1. तहसीलदार, (राजस्व) हनुमानगढ 2. उप पंजीयक, हनुमानगढ
		नगरपालिका संगरिया	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया	1. तहसीलदार, (राजस्व) संगरिया 2. नायब तहसीलदार, संगरिया
		नगरपालिका टिब्बी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टिब्बी	1. तहसीलदार, (राजस्व) टिब्बी 2. नायब तहसीलदार, टिब्बी
		नगरपालिका पीलीबंगा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा	1. तहसीलदार, पीलीबंगा
		नगरपालिका गोलूवाला	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा	1. नायब तहसीलदार गोलूवाला
		नगरपालिका रावतसर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रावतसर	1. तहसीलदार, (राजस्व) रावतसर 2. नायब तहसीलदार, रावतसर
		नगरपालिका नोहर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर	1. तहसीलदार, नोहर 2. नायब तहसीलदार, नोहर
		नगरपालिका भादरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भादरा 2. नायब तहसीलदार, भादरा
20	जयपुर	नगरपालिका फुलेरा	सहायक कलक्टर, सांभरलेक	नायब तहसीलदार, जोबनेर
		नगरपालिका सांभरलेक	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांभरलेक	तहसीलदार, फुलेरा (मुख्यालय सांभर)
		नगरपालिका नरायना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर उत्तर	नायब तहसीलदार, फुलेरा (मुख्यालय सांभर)

		नगर परिषद् शाहपुरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	तहसीलदार, शाहपुरा
		नगरपालिका मनोहरपुर	सहायक कलक्टर, शाहपुरा	नायब तहसीलदार, मनोहरपुर
		नगरपालिका किशनगढ रेनवाल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ रेनवाल	तहसीलदार, किशनगढ रेनवाल
		नगरपालिका जोबनेर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जोबनेर	तहसीलदार, जोबनेर
		नगरपालिका बस्सी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी	तहसीलदार, बस्सी
		नगरपालिका बगरु	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांगानेर	नायब तहसीलदार, बगरु
		नगरपालिका वाटिका	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर दक्षिण	तहसीलदार, सांगानेर
		नगरपालिका चाकसू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चाकसू	तहसीलदार, चाकसू
		नगर परिषद् चौमू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू	तहसीलदार, चौमू
		नगरपालिका कानोता	सहायक कलक्टर, बस्सी	नायब तहसीलदार, बस्सी
		नगरपालिका खेजरोली	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमू	नायब तहसीलदार, खेजरोली
		नगरपालिका कालाडेरा	सहायक कलक्टर, चौमू	नायब तहसीलदार, गोविन्दगढ
		नगर परिषद् दूदू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दूदू	तहसीलदार, दूदू
		नगरपालिका जमवारामगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ	तहसीलदार, जमवारामगढ
		नगरपालिका फागी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, फागी	तहसीलदार, फागी
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 01 से 22	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मुख्यालय जयपुर	उप पंजीयक-तृतीय
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 23 से 37	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर	तहसीलदार जेडीए जोन-9
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 38 से 58	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांगानेर	तहसीलदार, सांगानेर
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 59 से 72	जिला रसद अधिकारी, द्वितीय जयपुर	उप पंजीयक प्रथम, सांगानेर
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 73 से 87	उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर वृत्त द्वितीय, जयपुर	उप पंजीयक-पंचम
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 88 से 103	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय	उप पंजीयक-दशम
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 104 से 115	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर	उप पंजीयक-नवम
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 116 से 132	उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर वृत्त तृतीय, जयपुर	तहसीलदार जयपुर
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 133 से 147	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर प्रथम	तहसीलदार, कृषि भूमि रूपान्तरण, जयपुर
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 148 से 150	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेर	तहसीलदार, आमेर
21.	जैसलमेर	नगरपरिषद् जैसलमेर	उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर	1. तहसीलदार, जैसलमेर 2. नायब तहसीलदार, जैसलमेर
		नगरपालिका पोकरण	उपखण्ड अधिकारी, पोकरण	1. तहसीलदार, पोकरण

				2. नायब तहसीलदार, पोकरण
22.	जालोर	नगर परिषद् जालोर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जालोर	तहसीलदार, जालोर
		नगरपालिका आहोर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आहोर	तहसीलदार, आहोर
		नगरपालिका भीनमाल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीनमाल	तहसीलदार, भीनमाल
		नगर परिषद् सांचौर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांचौर	तहसीलदार, सांचौर
		नगरपालिका सायला	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सायला	तहसीलदार, सायला
23.	झालावाड़	नगर परिषद् झालावाड़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, झालावाड़	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
		नगरपालिका झालावाड़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, असनावर	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, असनावर
		नगरपालिका भवानीमण्डी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पचपहाड़
		नगरपालिका पिडावा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पिडावा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पिडावा
		नगरपालिका अकलेरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अकलेरा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अकलेरा
		नगरपालिका खानपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खानपुर	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, खानपुर
		नगरपालिका मनोहरथाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना
		नगरपालिका डग	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गंगधार	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डग
24.	झुन्झुनू	नगर परिषद् झुन्झुनू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
		नगरपालिका बगड़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
		नगरपालिका नवलगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नवलगढ़	नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय नवलगढ़
		नगरपालिका जाखल	तहसीलदार, नवलगढ़	नायब तहसीलदार, तहसील नवलगढ़
		नगरपालिका डूँडलोद	सहायक कलक्टर, नवलगढ़	नायब तहसीलदार, मुकुन्दगढ़
		नगरपालिका सिघाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बुहाना	नायब तहसीलदार, सिघाना
		नगरपालिका बुहाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बुहाना	तहसीलदार, बुहाना
		नगरपालिका सूरजगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़	तहसीलदार, सूरजगढ़
		नगरपालिका पिलानी	तहसीलदार, पिलानी	नायब तहसीलदार, पिलानी
		नगरपालिका चिड़ावा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	नायब तहसीलदार, पिलानी
		नगरपालिका सुलताना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	तहसीलदार, चिड़ावा
		नगरपालिका मण्डेला	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	नायब तहसीलदार, तहसील चिड़ावा
				नायब तहसीलदार, मण्डेला

		नगरपालिका बिसाउ	तहसीलदार, बिसाउ	नायब तहसीलदार, बिसाउ
		नगरपालिका मण्डावा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मण्डावा	तहसीलदार, मण्डावा
		नगरपालिका मुकुन्दगढ	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नवलगढ	नायब तहसीलदार, मुकुन्दगढ
		नगरपालिका खेतडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खेतडी	तहसीलदार, खेतडी
		नगरपालिका उदयपुरवाटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी	तहसीलदार, उदयपुरवाटी
		नगरपालिका मलसीसर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मलसीसर	तहसीलदार, मलसीसर
25.	जोधपुर	नगर निगम जोधपुर	1. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर उत्तर 2. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर दक्षिण 3. अपर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रथम 4. अपर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वितीय	1. तहसीलदार, जोधपुर 2. तहसीलदार कुडी भगतासनी 3. उप पंजीयक (तृतीय), जोधपुर 4. उप पंजीयक (प्रथम), जोधपुर
		नगरपालिका बालेसर सत्ता	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बालेसर	तहसीलदार, बालेसर
		नगर पालिका तिंवरी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ओसिया	तहसीलदार तिंवरी
		नगरपालिका भोपालगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भोपालगढ	तहसीलदार, भोपालगढ
		नगरपालिका बिलाडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिलाडा	तहसीलदार, बिलाडा
		नगरपालिका पीपाड शहर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीपाड शहर	तहसीलदार, पीपाड शहर
		नगरपालिका मथानिया	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	नायब तहसीलदार, तिंवरी
26.	करौली	नगरपरिषद् करौली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, करौली	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, करौली
		नगरपरिषद् हिण्डौन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हिण्डौन	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, हिण्डौन
		नगरपालिका टोडाभीम	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोडाभीम	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम
		नगरपालिका सपोटरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सपोटरा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सपोटरा
		नगरपालिका मण्डरायल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मण्डरायल	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मण्डरायल
		नगरपालिका सूरुठ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हिण्डौन	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सूरुठ
27.	खैरथल-तिजारा	नगर परिषद् खैरथल	तहसीलदार खैरथल	नायब तहसीलदार, खैरथल
		नगर परिषद् तिजारा	उपखण्ड अधिकारी, तिजारा	तहसीलदार, तिजारा
		नगर परिषद् भिवाडी	अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाडी	तहसीलदार, बीडा भिवाडी
		नगरपालिका मुण्डावर	उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर	तहसीलदार, मुण्डावर
		नगरपालिका किशनगढबास	उपखण्ड अधिकारी, किशनगढबास	तहसीलदार, किशनगढबास

		नगरपालिका टपूकडा	उपखण्ड अधिकारी, टपूकडा	तहसीलदार, टपूकडा
		नगरपालिका कोटकासिम	उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम	तहसीलदार, कोटकासिम
28.	कोटपूतली-बहरोड	नगर परिषद् कोटपूतली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटपूतली	तहसीलदार, कोटपूतली
		नगर परिषद् बहरोड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बहरोड	तहसीलदार, बहरोड
		नगरपालिका मांढण	सहायक कलक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) बहरोड	तहसीलदार मांढण
		नगरपालिका नीमराना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नीमराना	तहसीलदार, नीमराना
		नगरपालिका बर्डोद	सहायक कलक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट बहरोड	सब रजिस्ट्रार बहरोड
		नगरपालिका बानसूर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बानसूर	तहसीलदार, बानसूर
		नगरपालिका नारायणपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नारायणपुर	तहसीलदार, नारायणपुर
		नगरपालिका विराटनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, विराटनगर	तहसीलदार, विराटनगर
		नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा	तहसीलदार, पावटा
29.	कोटा	नगर निगम कोटा	अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) कोटा	1. उप रजिस्ट्रार द्वितीय, कोटा 2. सहायक भू-प्रबंध अधिकारी, द्वितीय, कोटा 3. तहसीलदार कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा 4. तहसीलदार भू-अभिलेख कलक्टर, कोटा 5. नायब तहसीलदार दीगोद, कोटा 6. तहसीलदार प्रथम कोटा विकास प्राधिकरण 7. तहसीलदार, दीगोद 8. सहायक भू-प्रबंध अधिकारी (मुख्यालय) कोटा 9. नायब तहसीलदार, लाडपुरा 10. सहायक प्रधानाचार्य, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र कोटा
		नगरपालिका रामगंजमण्डी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी	1. तहसीलदार, रामगंजमण्डी 2. नायब तहसीलदार, रामगंजमण्डी
		नगरपालिका सुर्केत	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी	1. तहसीलदार, रामगंजमण्डी 2. नायब तहसीलदार, रामगंजमण्डी
		नगरपालिका सांगोद	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांगोद	तहसीलदार, सांगोद
		नगरपालिका इटावा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, इटावा	तहसीलदार, पीपल्दा

		नगरपालिका सुल्तानपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद	तहसीलदार, दीगोद
30.	नागौर	नगरपरिषद् नागौर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नागौर
		नगरपालिका मूण्डवा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मूण्डवा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मूण्डवा
		नगरपालिका कुचेरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खीवसर	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, खीवसर
		नगरपालिका मेड़ता	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मेड़ता	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मेड़ता
		नगरपालिका डेगाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डेगाना	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डेगाना
		नगरपालिका बासनी	सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर	उप पंजीयक, नागौर
		नगरपालिका जायल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जायल	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जायल
		नगरपालिका रियांबडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रियांबडी	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रियांबडी
		नगरपालिका मेड़ता रोड	उप पंजीयक मेड़ता	नायब तहसीलदार, उपतहसील गोदन
31.	पाली	नगरनिगम पाली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली	1. तहसीलदार, पाली 2. नायब तहसीलदार, पाली
		नगरपालिका सोजत सिटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	1. तहसीलदार, सोजत 2. नायब तहसीलदार, सोजत
		नगरपालिका सोजत रोड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	1. तहसीलदार, सोजत 2. नायब तहसीलदार, सोजत
		नगरपालिका मारवाड जंक्शन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मारवाड जंक्शन	1. तहसीलदार, मारवाड जंक्शन 2. नायब तहसीलदार, मारवाड जंक्शन
		नगरपालिका बाली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाली	1. तहसीलदार, बाली 2. नायब तहसीलदार, बाली
		नगरपालिका खुडाला फालना स्टेशन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाली	1. तहसीलदार, बाली 2. नायब तहसीलदार, बाली
		नगरपालिका रानी खुर्द	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रानी	1. तहसीलदार, रानी 2. नायब तहसीलदार, रानी
		नगरपालिका सादडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देसूरी	1. तहसीलदार, देसूरी 2. नायब तहसीलदार, देसूरी
		नगरपालिका सुमेरपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	1. तहसीलदार, सुमेरपुर 2. नायब तहसीलदार, सुमेरपुर
		नगरपालिका तखतगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	1. तहसीलदार, सुमेरपुर 2. नायब तहसीलदार, सुमेरपुर
32.	फलोदी	नगरपरिषद् फलोदी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, फलोदी	तहसीलदार, फलोदी
		नगरपालिका बाप	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाप	तहसीलदार, बाप
33.	प्रतापगढ़	नगरपरिषद् प्रतापगढ़	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़	तहसीलदार, प्रतापगढ़
		नगरपालिका छोटीसादडी	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, छोटीसादडी	तहसीलदार, छोटीसादडी

		नगरपालिका धरियावद	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धरियावद	तहसीलदार, धरियावद
		नगरपालिका अरनोद	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अरनोद	तहसीलदार, अरनोद
34.	राजसमंद	नगरपालिका आमेट	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेट	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेट
		नगरपालिका भीम	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीम	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक, भीम 2. नायब तहसीलदार, भीम 3. नायब तहसीलदार, दिवेर
		नगरपालिका देवगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देवगढ	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, देवगढ
		नगरपालिका नाथद्वारा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा 2. नायब तहसीलदार, नाथद्वारा
		नगरपरिषद् राजसमंद	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमंद	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, राजसमंद
35.	सलूम्बर	नगरपरिषद् सलूम्बर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सलूम्बर	1. तहसीलदार, सलूम्बर 2. नायब तहसीलदार, सलूम्बर
36.	सवाई माधोपुर	नगरपरिषद् सवाई माधोपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर	तहसीलदार, सवाई माधोपुर
		नगरपरिषद् गंगापुर सिटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी	तहसीलदार, गंगापुर सिटी
		नगरपालिका बामनवास	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बामनवास	तहसीलदार, बामनवास
		नगरपालिका वजीरपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वजीरपुर	तहसीलदार, वजीरपुर
		नगरपालिका बौली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बौली	तहसीलदार, बौली
		नगरपालिका खण्डार	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डार	तहसीलदार खण्डार
37.	सीकर	नगरपालिका रामगढ शेखावाटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगढ शेखावाटी	तहसीलदार, रामगढ शेखावाटी
		नगरपरिषद् फतेहपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, फतेहपुर	1. तहसीलदार, फतेहपुर 2. नायब तहसीलदार, फतेहपुर
		नगरपालिका लक्ष्मणगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ	1. तहसीलदार, लक्ष्मणगढ 2. नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ
		नगरपरिषद् सीकर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीकर	1. तहसीलदार, सीकर 2. उप पंजीयक सीकर 3. नायब तहसीलदार, सीकर
		नगरपालिका धोद	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद	1. तहसीलदार, धोद 2. नायब तहसीलदार, धोद
		नगरपालिका लोसल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद	1. तहसीलदार, धोद 2. नायब तहसीलदार, लोसल
		नगरपालिका दांता	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ	1. तहसीलदार, दांतारामगढ 2. नायब तहसीलदार, दांतारामगढ
		नगरपालिका खाटूश्यामजी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ	1. नायब तहसीलदार, पलसाना 2. नायब तहसीलदार, कार्या. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ

		नगरपालिका पलसाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ	1. तहसीलदार दांतारामगढ 2. नायब तहसीलदार पलसाना
		नगरपालिका रीगस	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रीगस	1. तहसीलदार, रीगस 2. नायब तहसीलदार, रीगस
		नगरपालिका खण्डेला	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खण्डेला	1. तहसीलदार, खण्डेला 2. नायब तहसीलदार, खण्डेला
		नगरपरिषद् नीमकाथाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना	तहसीलदार, नीमकाथाना नायब तहसीलदार, नीमकाथाना
		नगरपालिका श्रीमाधोपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर	तहसीलदार, श्रीमाधोपुर नायब तहसीलदार, श्रीमाधोपुर
		नगरपालिका अजीतगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर	तहसीलदार, श्रीमाधोपुर नायब तहसीलदार, अजीतगढ
38.	सिरोही	नगरपरिषद् सिरोही	उपखण्ड अधिकारी, सिरोही	तहसीलदार, सिरोही
		नगरपालिका शिवगंज	उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज	तहसीलदार, शिवगंज
		नगरपालिका पिण्डवाडा	उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा	तहसीलदार, पिण्डवाडा
		नगरपालिका आबूरोड	उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड	तहसीलदार, आबूरोड
		नगरपालिका आबूपर्वत	उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत	तहसीलदार, देलदर
		नगरपालिका मण्डार	उपखण्ड अधिकारी, रेवदर	तहसीलदार, रेवदर
39.	श्रीगंगानगर	नगरपरिषद् श्रीगंगानगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर	1. तहसीलदार, श्रीगंगानगर 2. उप पंजीयक, श्रीगंगानगर
		नगरपालिका सादुलशहर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर	तहसीलदार, सादुलशहर
		नगरपालिका करणपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, करणपुर	तहसीलदार, करणपुर
		नगरपालिका केसरीसिंहपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, करणपुर	तहसीलदार, करणपुर
		नगरपालिका पदमपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर	तहसीलदार, पदमपुर
		नगरपालिका गजसिंहपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर	तहसीलदार, गजसिंहपुर
		नगरपालिका सूरतगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ	1. तहसीलदार, सूरतगढ 2. उप पंजीयक, सूरतगढ
		नगरपरिषद् अनूपगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ	1. तहसीलदार, अनूपगढ 2. उप पंजीयक, अनूपगढ
		नगरपालिका श्रीविजयनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीविजयनगर	तहसीलदार, श्रीविजयनगर
		नगरपालिका रायसिंहनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर	तहसीलदार, रायसिंहनगर
		नगरपालिका घडसाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, घडसाना	तहसीलदार, घडसाना
40.	टोंक	नगरपरिषद् टोंक	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, टोंक उप पंजीयक, टोंक
		नगरपालिका मालपुरा	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मालपुरा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मालपुरा
		नगरपालिका निवाई	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, निवाई	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, निवाई

		नगरपालिका दूनी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देवली	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दूनी
		नगरपालिका देवली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देवली	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, देवली
		नगरपालिका उनियारा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उनियारा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उनियारा
		नगरपालिका टोडारायसिंह	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह
		नगरपालिका पीपलू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीपलू	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पीपलू
		नगरपालिका डिग्गी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मालपुरा	नायब तहसीलदार, डिग्गी
		नगरपालिका लाम्बाहरिसिंह	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मालपुरा	नायब तहसीलदार, मालपुरा
41.	उदयपुर	नगर निगम उदयपुर	अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) उदयपुर उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गिर्वा	1. तहसीलदार, देवस्थान 2. तहसीलदार, यूडीए 3. नायब तहसीलदार, बडगांव 4. तहसीलदार, गिर्वा 5. तहसीलदार, बडगांव 6. तहसीलदार, बारापाल
		नगरपालिका भीण्डर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीण्डर	तहसीलदार, भीण्डर
		नगरपालिका कानोड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीण्डर	तहसीलदार, कानोड
		नगरपालिका वल्लभनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर	तहसीलदार, वल्लभनगर
		नगरपालिका फतहनगर-सनवाड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मावली	नायब तहसीलदार, सनवाड
		नगरपालिका मावली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मावली	तहसीलदार, मावली

भवदीया,

(नलिनी कठौतिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 12.11.2025

क्रमांक: एफ.1(3)(1)न.पा. / रानिआ / 94 / I / 4404 - 4405
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), राजस्थान।
6. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
7. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।

(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/वो.1/15511

दिनांक: 10.02.2024

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 के उपबन्धों के अनुसरण में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) से प्राप्त प्रस्तावानुसार निम्नलिखित तालिका के कॉलम-3 में अंकित नगरीय निकायों हेतु कॉलम-4 में अंकित अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं कॉलम संख्या-5 में अंकित अधिकारियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पद पर पदाभिहित किया जाता है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	नगरपालिका/परिषद/निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	कोटा	नगर निगम कोटा	1. अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) कोटा 2. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा	1. उप रजिस्ट्रार द्वितीय, कोटा 2. सहायक भू-प्रबंध अधिकारी, द्वितीय, कोटा 3. तहसीलदार कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा 4. तहसीलदार भू-अभिलेख कलक्टर, कोटा 5. नायब तहसीलदार दीगोद, कोटा 6. तहसीलदार प्रथम कोटा विकास प्राधिकरण 7. सहायक भू-प्रबंध अधिकारी (मुख्यालय) कोटा 8. नायब तहसीलदार, लाडपुरा 9. सहायक प्रधानाचार्य, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र कोटा

	नगरपालिका रामगंजमण्डी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी	नायब तहसीलदार, चेचट
	नगरपालिका सुकेत	तहसीलदार, रामगंजमण्डी	नायब तहसीलदार, रामगंजमण्डी
	नगरपालिका सांगोद	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांगोद	तहसीलदार, सांगोद
	नगरपालिका इटावा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, इटावा	तहसीलदार, पीपल्दा
	नगरपालिका सुल्तानपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद	तहसीलदार, दीगोद
2	खैरथल-तिजारा	नगर परिषद खैरथल उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ज़ास	तहसीलदार, खैरथल

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

10/12/26

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

दिनांक: 10.02.2026

क्रमांक: एफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/वो.1/1555-1556

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), कोटा एवं खैरथल-तिजारा।
2. संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
भारत जिला निर्वाचन अधिकारी, उदयपुर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन में
हेतु ई-गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
4. गार्ड फाईल।

10/02/2026
(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक:एफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/बो.1/1911

दिनांक: 17.02.20

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 के उपबन्धों के अनुसरण में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) से प्राप्त प्रस्तावानुसार निम्नलिखित तालिका के कॉलम-2 में अंकित नगरीय निकायों हेतु कॉलम-3 में अंकित अधिकारियों के स्थान पर कॉलम संख्या-4 में अंकित अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पद पर पदाभिहित किया जाता है :-

1.	2.	3.	4.
जिले का नाम	नगरपालिका/परिषद/ निगम का नाम	पूर्व में नियुक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	संशोधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
जोधपुर	नगर निगम जोधपुर	1. अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रथम जोधपुर	1. अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, शहर प्रथम जोधपुर

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

दिनांक: 17.02.20

क्रमांक:एफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/बो.1/1912-1915

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), जोधपुर।
2. संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, उदयपुर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को संबंधित को ई-मेल करने
हेतु।
4. गार्ड फाईल।

(अम्बालाल मीणा)

उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक:एफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/वो.1/2 444

दिनांक: 17.03.2026

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 के उपबन्धों के अनुसरण में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) से प्राप्त प्रस्तावानुसार निम्नलिखित तालिका के कॉलम-2 में अंकित नगरीय निकायों हेतु कॉलम-3 में अंकित अधिकारियों के स्थान पर कॉलम संख्या-4 में अंकित अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पद पर पदाभिहित किया जाता है :-

1.	2.	3.	4.
जिले का नाम	नगरपालिका/परिषद/ निगम का नाम	पूर्व में नियुक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	संशोधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
उदयपुर	नगर निगम उदयपुर	1. अति. जिला कलक्टर (शहर), उदयपुर 2. उपखण्ड अधिकारी, एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गिर्वा	1. अति. जिला कलक्टर (शहर), उदयपुर 2. उपखण्ड अधिकारी, एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गिर्वा 3. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बडगांव

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

दिनांक: 17.03.26

क्रमांक:एफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/वो.1/2 445-2448

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), उदयपुर।
2. संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, उदयपुर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को संबंधित को ई-मेल करने हेतु।
4. गार्ड फाईल।

(अम्बालाल मीणा)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक:एफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/वो.1/2456

दिनांक: 18.03.2026

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 के उपबन्धों के अनुसरण में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) से प्राप्त प्रस्तावानुसार निम्नलिखित तालिका के कॉलम-2 में अंकित नगरीय निकायों हेतु कॉलम-3 में अंकित अधिकारियों के स्थान पर कॉलम संख्या-4 में अंकित अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पद पर पदाभिहित किया जाता है :-

जिले का नाम	नगरनिगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	संशोधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4
कोटा	नगर निगम कोटा	1. अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) कोटा 2. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा	1. अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) कोटा 2. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा 3. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी 4. उपखण्ड अधिकारी कोटा

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

दिनांक: 18-03-2026

क्रमांक:एफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/वो.1/2457-2460

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), कोटा ।
2. संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, उदयपुर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को संबंधित को ई-मेल करने हेतु।
4. गार्ड फाईल।

(अम्बालाल मीणा)

उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक:एफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/बो.1/2416

दिनांक: 16.03.2026

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 के उपबन्धों के अनुसरण में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) से प्राप्त प्रस्तावानुसार निम्नलिखित तालिका के कॉलम-2 में अंकित नगरीय निकायों हेतु कॉलम-3 में अंकित अधिकारियों के स्थान पर कॉलम संख्या-4 में अंकित अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पद पर पदाभिहित किया जाता है :-

1.	2.	3.	4.
जिले का नाम	नगरपालिका / परिषद / निगम का नाम	पूर्व में नियुक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	संशोधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
जयपुर	नगर पालिका मनोहरपुर	1. सहायक कलक्टर, शाहपुरा	1. सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा
	नगर निगम जयपुर, वार्ड सं. 88 से 103	1. उप पंजीयक - दशम, जयपुर	1. उप पंजीयक - द्वितीय, जयपुर

साथ ही आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव-2026 हेतु निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं विस्तृत दिशा-निर्देश पत्र दिनांक 20.02.2026 में संलग्न परिशिष्ट-1 पर नगर परिषद दूदू के स्थान पर नगर पालिका दूदू अंकित किया जा चुका है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव,

दिनांक: 16.03.2026

क्रमांक:एफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/बो.1/2417-2419

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), जयपुर
2. संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को संबंधित को ई-मेल करने हेतु।

(अम्बालाल मीणा)

उप सचिव

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

Draft Electoral Roll Control Chart

Name of District :

Name of Council /

Corporation :

FORMAT -

A

Please use this temaplate to create electoral rolls. Please enter values in english. Please do not change or make copies of this template. Please start filling the template from Sr. No. 1

version,1.1

1	2	3	4	5	6	7	8
Sr. No.	Assembly Constituency No.	Assembly Part No.	From Sr.No.	To Sr.No.	Ward No.	Ward Part No.	Total
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

नगर निकायो में वार्ड पार्ट वाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए
सॉफ्टवेर (ई-सूची) संचालन हेतु दिशा निर्देश

क्र.सं.	स्टेप	विवरण
1	स्टेप-1	पॉल इन Browser पर जाकर https://www.esuchi.rajasthan.gov.in टाइट करें। पॉल इन password टाइट कर पॉल इन करें।
2	स्टेप-2	ULB का चयन करना Change Preferences फॉर्म में जाकर जिला और काउन्सिल/कार्पोरेशन का चयन कर DONE बटन पर क्लिक करें।
3	स्टेप-3	काउन्सिल/कार्पोरेशन का नाम निर्धारित करना Set name for election फॉर्म की ओपन कर काउन्सिल/कार्पोरेशन का नाम हिंदी में दर्ज करें।
4	स्टेप-4	मतदान केंद्र का नाम निर्धारित करना Polling station detail फॉर्म की ओपन कर मतदान केंद्र मास्टर सूची की टाइट पट्टी/मन्थान कर लें।
5	स्टेप-5	काउन्सिल/कार्पोरेशन के वार्ड निर्धारित करना Ward-Create/Edit More.. फॉर्म की ओपन कर काउन्सिल/कार्पोरेशन के ward की मास्टर सूची की टाइट पट्टी/मन्थान कर लें। कृपया वार्ड के परिमिति अनुसार विवरण का इंटर करना सुनिश्चित करें यह मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ पर पिट होगा।
6	स्टेप-6	काउन्सिल/कार्पोरेशन के वार्ड पार्ट निर्धारित करना Ward-Part Create/Edit More.. फॉर्म की ओपन कर काउन्सिल/कार्पोरेशन के ward part की मास्टर सूची की टाइट पट्टी/मन्थान कर लें। Note : सभी वार्ड की डीटेल - मतदान केंद्र, नगरपालिका, town, वार्ड पार्ट के परिमिति अनुसार विवरण डायरी की पट्टी होना सुनिश्चित करें।
ड्राफ्ट मतदाता सूची की पीडीएफ फाइल तैयार करना		
7	स्टेप-7	Format-A तैयार कर अपलोड करना Draft Voter List->Upload A document फॉर्म की ओपन कर, वार्ड मास्टर को सुकर Format-A की Excel की Comma Delimited (.CSV format) अपलोड करें। Format-A की EXCEL file Download Section में डाउनलोड की जा सकती है।
8	स्टेप-8	Draft Voter List मन्थान करना Draft Voter List->View Draft Voter List & Remaining voter Summary के माध्यम में ड्राफ्ट वॉटर लिस्ट मन्थान के लिए देख सकते हैं। डाउनलोड मेकशन में eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड कर ड्राफ्ट वॉटर लिस्ट की नेक्स्टिफ PDF फाइल डाउनलोड मन्थान के लिए की जा सकती है। इस समय डाउनलोड की गई ड्राफ्ट वॉटर लिस्ट में सेकलिटिड शब्द पिट होगा।
9	स्टेप-9	काउन्सिल/कार्पोरेशन को फ्रीज करना Draft Voter List->Freeze draft ward summary फॉर्म की ओपन कर वार्ड मास्टर का चयन करें। सेकलिटिड को सेक करने के बाद freeze draft roll बटन पर क्लिक कर ड्राफ्ट मेन फ्रीज करें।
10	स्टेप-10	काउन्सिल/कार्पोरेशन का कम्प्लीशन मरिफिकेट कम्प्लीशन Draft Voter List->Draft Roll completion certificate फॉर्म ओपन कर वार्ड नंबर का चयन करें। सेकलिटिड को सेक करने के बाद confirm बटन पर क्लिक कर ड्राफ्ट मेन चेरीताई करें।
11	स्टेप-11	ड्राफ्ट वॉटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना डाउनलोड मेकशन में eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड करें। ड्राफ्ट वॉटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल(With photo,Without Photo) डाउनलोड करें। इस समय डाउनलोड की गई ड्राफ्ट वॉटर लिस्ट में सेकलिटिड शब्द पिट नहीं होगा।
12	स्टेप-12	ड्राफ्ट वॉटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल सब माईट पर अपलोड करना। डाउनलोड की गई ड्राफ्ट वॉटर लिस्ट को पूर्ण रूप से सेक करने के बाद eSuchi PDF Factory Software में उपलब्ध अपलोड मेकशन में जाकर पीडीएफ फाइल को अपलोड करें। Note : यह सुनिश्चित करें कि पीडीएफ फाइल का नाम सही है जो की डाउनलोड के समय था, नाम में बदलाव करने पर पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं होगी।

**नगर निकायो में वार्ड पार्ट वाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए
सॉफ्टवेयर (ई-सूची) संचालन हेतु दिशा निर्देश**

13	स्टेप- 13	मतदाता का Section Address मंत्री करना	अगर जरूरत है तो मतदाता सूची में गिरे होने वाले Section Address में बदलाव Setup->Update/Delete Address फॉर्म अप्रेशन कर किया जा सकता है।
Supplement/Final मतदाता सूची की पीडीएफ फाइल तैयार करना			
14	स्टेप- 14	Format-B तैयार कर अपलोड करना	अगर मतदाता को एक वार्ड में दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की जरूरत है या वार्ड के एक वार्ड पार्ट में दूसरे वार्ड पार्ट में शिफ्ट करने की जरूरत है तो Format-B की Excel की Comma Delimited (.CSV Format) तैयार कर अपलोड करें। अपलोड के पश्चात FORMAT-B को Process कर लेंगे। Format-B की EXCEL फाइल Download Section में डाउनलोड की जा सकती है। NOTE : FORMAT-B में मतदाता की क्रम संख्या DRAFT VOTER LIST की क्रम संख्या होगी। ECI वॉटर लिस्ट की क्रम संख्या FORMAT-B में उपयोग नहीं करें।
15	स्टेप- 15	नए मतदाता को जोड़ना/संशोधन करना	अगर नए मतदाता को जोड़ने की जरूरत है तो claim objection->Add new voter का फॉर्म अप्रेशन कर जोड़ लेंगे। अगर नए मतदाता में संशोधन की जरूरत है तो claim Objection->search/modify new voter का फॉर्म अप्रेशन कर संशोधन कर लेंगे।
16	स्टेप- 16	फाइनल वॉटर लिस्ट मतदाता में संशोधन/डिलीट करना	अगर ड्राफ्ट वॉटर लिस्ट मतदाता में संशोधन/डिलीट की जरूरत है तो claim objection->update delete voter का फॉर्म अप्रेशन कर संशोधन/डिलीट कर लेंगे।
17	स्टेप- 17	Accept/Reject ऑनलाइन एप्लिकेशन	eSuchi PDF factory में ऑनलाइन एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के पश्चात Field verification होने के बाद मध्यम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के उपरान्त Claim-Objection -> online Forms में जाकर ऑनलाइन एप्लिकेशन को Accept/Reject करें। Accept होने पर एप्लिकेशन के मतदाता मजिस्ट्रेट/फाइनल मतदाता सूची में जोड़ जाएंगे।
18	स्टेप- 18	वार्ड मसूदा को फ्रीज करना	Final Voter List->Freeze Final Roll ward summary फॉर्म अप्रेशन कर वार्ड मसूदा का चयन करें। नेक्वांस को चेक करने के बाद Freeze Final roll बटन पर क्लिक कर फाइनल रोल फ्रीज करें।
19	स्टेप- 19	वार्ड मसूदा का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जनरेशन	Final Voter List->Final Roll completion certificate फॉर्म अप्रेशन कर वार्ड मसूदा का चयन करें। नेक्वांस को चेक करने के बाद confirm बटन पर क्लिक कर final रोल बेरीफाई करें।
20	स्टेप- 20	फाइनल/मजिस्ट्रेट वॉटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना	डाउनलोड गैरेशन में eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड करें। गॉल इन कर फाइनल/मजिस्ट्रेट वॉटर लिस्ट की PDF फाइल(with Photo.Without Photo) डाउनलोड करें। इस समय डाउनलोड की गई फाइनल/मजिस्ट्रेट वॉटर लिस्ट में बेकलिस्ट शब्द गिरे नहीं होगा।
21	स्टेप- 21	फाइनल/मजिस्ट्रेट वॉटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल वेब गार्ड पर अपलोड करना।	फाइनल/मजिस्ट्रेट वॉटर लिस्ट को पूर्ण रूप में चेक करने के बाद eSuchi PDF Factory Software में उपलब्ध अपलोड गैरेशन में जाकर पीडीएफ फाइल को अपलोड करें। Note : यह सुनिश्चित करने की पीडीएफ फाइल का नाम वही है जो की डाउनलोड के समय था, नाम में बदलाव करने पर पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं होगी।
22	स्टेप- 22	मतदाता का section Address मंत्री करना	अगर जरूरत है तो मतदाता सूची में गिरे होने वाले Section Address में बदलाव Setup->Update/Delete Address फॉर्म अप्रेशन कर किया जा सकता है।

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम

प्रमाण – पत्र

मैं , निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम प्रमाणित करता हूँ कि नगर
निकाय के वार्ड संख्या 1 से तक तैयार कराई गई सभी वार्डों की
प्रारूप मतदाता सूची इनके परिसीमन के अनुसार सही है। प्रारूप मतदाता सूची में अंकित सभी
मतदाताओं का भौतिक सत्यापन प्रगणकों द्वारा किया गया है। मेरे स्वयं के द्वारा
प्रतिशत एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रतिशत भौतिक
सत्यापन के कार्य की नमूना जाँच कर ली गई है।

(अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर)
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
न.पा./न.प./न.नि.

प्रतिहस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम)
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
जिला

प्ररूप 8

स्थान का नाम (जहाँ आवेदन प्राप्त किए गए हैं)		नाम सम्मिलित करने के लिए प्ररूप 3 में प्राप्त आवेदनों की सूची				
		नगरपालिका का नाम :-				
1. वार्ड संख्या 2. भाग संख्या		3. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित) तारीख से तारीख तक				
4. सुनवाई का स्थान* :						
आवेदन की क्रम संख्या ^{\$}	प्राप्ति की तारीख	दावेदार का नाम	पिता/माता/पति का नाम और (संबंध)#	निवास स्थान	सुनवाई की तारीख*	सुनवाई का समय*
1	2	3	4	5	6	7

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख।

^{\$} प्रत्येक स्थान के लिए क्रमशः क्रम संख्या देनी होगी।

संबंध पि-पिता, मा-माता, और प-पति के रूप में कोष्ठकों में अर्थात् (पि), (मा), (प) दें।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

प्ररूप 9

स्थान का नाम (जहाँ आवेदन प्राप्त किए गए हैं)	नामों को सम्मिलित करने के विरुद्ध आपत्ति करने के लिए प्ररूप 5 में प्राप्त आवेदनों की सूची							
	नगरपालिका का नाम :-							
1. वार्ड संख्या	3. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित)							
2. भाग संख्या	तारीख से तारीख तक							
4. सुनवाई का स्थान* :								
आवेद न की क्रम संख्या ^{\$}	प्राप्ति की तारीख	आक्षेपकर्ता का नाम (पूरा नाम)	आक्षेपित व्यक्ति का ब्यौरा			आक्षेप के लिए संक्षेप में कारण	सुनवाई की तारीख*	सुनवाई का समय*
			भाग संख्यां क	क्रम संख्यां क	पूरा नाम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख।

^{\$} प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु प्रत्येक अभिहित स्थान के लिए कमशः कम संख्या देनी होगी।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

प्ररूप 10

अभिहित स्थान की पहचान (जहाँ आवेदन प्राप्त किए गए हैं)		निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की विशिष्टियों पर आक्षेप के लिए प्ररूप 6 में प्राप्त आवेदनों की सूची					
		नगरपालिका का नाम :-					
1. वार्ड संख्या 2. भाग संख्या		3. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित) तारीख से तारीख तक					
4. सुनवाई का स्थान* :							
आवेदन की क्रम संख्या [§]	प्राप्ति की तारीख	आक्षेप करने वाले निर्वाचन का नाम (पूरा नाम)	आक्षेपित प्रविष्टि की विशिष्टियां		आक्षेप की प्रकृति	सुनवाई की तारीख*	सुनवाई का समय*
			भाग संख्यांक	क्रम संख्यांक			
1	2	3	4	5	6	7	8

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख।

§ प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु प्रत्येक अभिहित स्थान के लिए कमशः कम संख्या देनी होगी।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

[illegible]

नगरपालिका आम चुनाव २०२६

मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन का विवरण

जिले का नाम:

नगरपालिका का नाम:

[illegible]